

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI



Original Application No. 112 of 2024  
(G.A. No. 45/2024)



**IN THE MATTER OF:**

Chaudhary Yashwant Singh.

....Applicant

Versus

Union of India & Ors.

....Respondent(s)

**REPLY/RESPONSE ON BEHALF THE UTTAR PRADESH  
POLLUTION CONTROL BOARD, IN COMPLIANCE TO ORDER  
DATED 24.09.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL  
GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.**

I, Reetesh Kumar Tewari S/o Shri J. N. Tewari aged about 50 years, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as UPPCB), Sonbhadra, do hereby solemnly affirm and state of oath as under;

1. That in the official capacity mentioned above, I am acquainted with the facts and circumstances of the case and such I am competent and authorized to swear this affidavit.

2. That, in the above case the grievance is that the Project Proponent in collusion with the Uttar Pradesh State Highway Authority and



other concerned officers has illegally constructed / operating toll tax plaza (toll fee collection booth) / hot mix plant at Village Belkhara, Pargana-Ahraura, Tehsil Chunar, District Mirzapur on Araji No. 291 Mi in area of 15 Bigha which has been declared as Forest Land.

3. That in compliance of order dated 24.09.2024 in the above matter, to review the current status of grievance made by the applicants, officials of the UPPCB have carried out the visit of above concerned Site i.e. Toll Plaza operated by M/s Apco Infratech Pvt. Ltd. (M/s ACP Tollways Pvt. Ltd.) and Hot-mix plant established at Arazi no. 291/2, Village-Belkhara, Pargana-Ahraura, Tehsil-Chunar, District-Mirzapur for construction of Toll Plaza on 28.12.2024. A copy of Inspection Report dated 03.01.2025 of inspection date 28.12.2024 is being attached as **Annexure No.1.**
4. The facts and observations found during field visit are as follows:-
  - i. During inspection as per document provide by representative, fact come into light that permission has been granted to M/s ACP Tollways Pvt. Ltd., B-9, Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow by Chief Executive Officer, Uttar Pradesh State Highway Authority, Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow vide ref. No.926/Pravi-18(4-T.Booth)/(V-S)/2021-22/Lko dated 10.03.2022 to operate the Temporary Fee Collection Booth(TFCB-1A) on the stated SOP and terms & conditions. A copy of letter dated 10.03.2022 is being annexed as **Annexure No.2.**
  - ii. During inspection Toll Plaza established at Village-Belkhara, Pargana-Ahraura, Tehsil-Chunar, District-Mirzapur was found operational & operated by M/s Apco Infratech Pvt.Ltd. (M/s



ACP Tollways Pvt. Ltd.) B-9, Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow.

- iii. During inspection, the representative of Toll Plaza informed that for production of hot mix material, Hot Mix Plant was established at Arazi no.291/2, Vill.-Belkhara, Ahraura, Dist.-Mirzapur which was found closed during inspection. The Geo-co-ordinates of concerned Hot Mix Plant established at site of M/s ACP Tollways Pvt. Ltd. is Lat.-24.993111 & Long.-83.02046.
- iv. Further regarding CTO/CTE status of Hot Mix Plant, information was not provided by representative of above unit.
- v. Accordingly notice has been issued to M/s Apco Infratech Pvt.Ltd. (M/s ACP Tollways Pvt. Ltd), Village-Belkhara, Pargana-Ahraura, Tehsil-Chunar, District-Mirzapur by UPPCB vide ref. No. G0017/Patra.Samanya./2025 dated 03.01.2025 to operate Hot-mix Plant only after obtaining CTO/CTE from UPPCB. A copy of notice dated 03.01.2025 issued by UPPCB is being Annexed as **Annexure No.3**
- vi. In compliance of above notice dated 03.01.2025 issued by UPPCB, representation /reply dated 08.01.2025 of M/s ACP Tollways Private Ltd., SPV for Varanasi-Shaktinagar Highway (SH-05A) was received in Regional Office, UPPCB, Sonbhadra on 08.01.2025. A copy of reply dated 08.01.2025 is being attached as **Annexure No.4**
- vii. As per representation /reply dated 08.01.2025 of M/s ACP Tollways Private Ltd., SPV for Varanasi-Shaktinagar Highway (SH-05A) and records available in office the facts came into light are as follows:-



↓

- a. For production of Hot mix material, Hot Mix Plant was established at Arazi no.291/2, Vill.-Belkhara, Ahraura, Dist.-Mirzapur by M/s A.C.P. Tollways Pvt. Ltd., Village-Vill.-Belkhara, Ahraura, Dist.-Mirzapur and operated by M/s Chetak Enterprises Ltd. (H.M.P.) Vill.-Belkhara, Ahraura, Dist.-Mirzapur.
- b. Hot Mix Plant has been established at Arazi No. 291/12 Vill.-Belkhara, Ahraura, Dist.-Mirzapur after having valid CTE from UPPCB in the name of M/s Chetak Enterprises Ltd. (H.M.P.) Vill.-Belkhara, Ahraura, Dist.-Mirzapur and having valid CTO for operation of Hot Mix Plant, which was valid upto 31.12.2017.
- viii. As, per record available in this Office, the above Hot Mix Plant was established in 2012 and was operated by M/s Chetak Enterprises Ltd. (H.M.P.) Vill.-Belkhara, Ahraura, Dist.-Mirzapur and is currently non operational.
- ix. NOC has been granted to M/s Chetak Enterprises Ltd. (H.M.P.), Vill.-Belkhara, Ahraura, Dist.-Mirzapur for establishment of Hot Mix Plant at Arazi No. 291/2, Vill.-Belkhara, Ahraura, Dist.-Mirzapur by UPPCB vide ref. No. 1972/Chetak (H.M.)/NOC/2012 dated 07.06.2012, A copy of NOC issued by UPPCB vide letter dated 07.06.2012 is being Annexed as **Annexure No.5**.
- x. CTO-Air has been granted to M/s Chetak Enterprises Ltd. (H.M.P.), Vill.-Belkhara, Ahraura, Dist.-Mirzapur for Production of Hot Mix Material by using Stone Grits & Bitumen as Raw material by UPPCB vide ref. No. 2944/Chetak/Sahmati Vayu Aadesh/ 2013 Sonbhadra dated 10.05.2013, which was valid upto 31.12.2013 & CTO-Water



*(Handwritten signature)*

has been granted to M/s Chetak Enterprises Ltd. (H.M.P.), Vill.-Belkhara, Ahraura, Dist.-Mirzapur for Production of Hot Mix Material by UPPCB vide ref. No. 2944/Chetak/Sahmati Jal/2013 Sonbhadra dated 10.05.2013, which was valid upto 31.12.2013. A copy of CTO issued by UPPCB vide letter dated 10.05.2013 is being Annexed as **Annexure No.6.**

- xi.** CTO-Air has been granted to M/s Chetak Enterprises Ltd. (H.M.P.), Vill.-Belkhara, Ahraura, Dist.-Mirzapur for production of Hot Mix Material by using Stone Grits & Bitumen as raw material by UPPCB vide ref. No. 4152/Chetak (H.M.P.)/Sahmati Vayu Aadesh/ 2013 Sonbhadra dated 05.12.2013 which was valid upto 31.12.2015 & CTO-Water has been granted to M/s Chetak Enterprises Ltd. (H.M.P.), Vill.-Belkhara, Ahraura, Dist.-Mirzapur for Production of Hot Mix Material by UPPCB vide ref. No. 4152/Chetak(H.M.P.)/Sahmati Jal/2013 Sonbhadra dated 05.12.2013 which was valid upto 31.12.2015. A copy of CTO issued by UPPCB vide letter dated 05.12.2013 is being Annexed as **Annexure No.7.**

- xii.** Further, CTO-Air has been granted to M/s Chetak Enterprises Ltd. (H.M.P.), Vill.-Belkhara, Ahraura, Dist.-Mirzapur for Production of Hot Mix Material @ 1200 MT/Day by using Stone Grits & Bitumen as Raw material by UPPCB vide ref. No. 9120/Sahmati (Vayu) Aadesh/2017 Sonbhadra dated 12.05.2017 which was valid upto 31.12.2017 and CTO-Water has been granted to M/s Chetak Enterprises Ltd. (H.M.P.), Vill.-Belkhara, Ahraura, Dist.-Mirzapur for Production of Hot Mix Material by UPPCB vide ref. No. 9120/Sahmati /2017 Sonbhadra dated 12.05.2017 which was valid upto



*(Handwritten signature)*


31.12.2017. A copy of CTO issued by UPPCB vide letter dated 12.05.2017 is being Annexed as **Annexure No.8.**

5. That the Annexure annexed to the present accompanying affidavit are true copies of their respective original.
6. That the above response on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

**DEPONENT**

**VERIFICATION**

Verified at Lko on this 13 day of January, 2025 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.



**DEPONENT**

sworn and Verified  
Before me

24/3/1625  
**ARJENDRA KUMAR SAHU**  
Advocate & Notary  
CIVIL COURT LUCKNOW

R.N. = 1449/15

I identify the deponent/ executant  
decederating Who has signed / executed the

मेसर्स एफको इन्फ्राटेक प्रा०लि० (मेसर्स ए०सी०पी० टोलवेज प्रा०लि०), आराजी संख्या-291/2, ग्राम- बेलखरा, परगना-अहरौरा, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर की निरीक्षण आख्या:-

उपरोक्त संदर्भित इकाई मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-112/2024 चौधरी यशवन्त सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-24.09.2024 के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक-28.12.2024 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय श्री वैभव अवस्थी, असिस्टेंट प्लाजा मैनेजर उपस्थित थे। निरीक्षण के समय हाटमिक्स प्लाण्ट बन्द पाया गया तथा उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त हाटमिक्स प्लाण्ट विगत कई वर्षों से बन्द है। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. टम्पेरी फीस कलेक्शन बूथ(टी०एफ०सी०बी०-1ए) at Km. 23+700 on Varanasi-Shaktinagar Road (SH-5A) ग्राम-बेलखरा, परगना-अहरौरा, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर पर स्थापना के सम्बन्ध में उ०प्र० स्टेट हाइवे अथॉरिटी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्रांक-926/Pravi-18(4-T. Booth)/(V-S)/2021-22/LKO दिनांक-10.03.2022 की अनुमति-पत्र की छायाप्रति निरीक्षण के दौरान उपलब्ध कराया गया (छायाप्रति संलग्न)।
2. मेसर्स एफको इन्फ्राटेक प्रा०लि० (मे० ए०सी०पी० टोलवेज प्रा०लि०), आराजी संख्या-291/2, ग्राम-बेलखरा, परगना-अहरौरा, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर पर हाटमिक्स प्लाण्ट (क्षमता 1200 मि०टन/दिन) वर्ष-2012 से स्थापित/संचालित किये जाने के सम्बन्ध में उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया।
3. इकाई में कच्चे माल के रूप में स्टोन ग्रेट, स्टोन डस्ट एवं बिटुमिन इत्यादि का प्रयोग कर हाटमिक्स प्लाण्ट के द्वारा हाटमिक्स मैटेरियल का उत्पादन किया जाता है। इकाई की उत्पादन क्षमता 1200 मि०टन/दिन होना सूचित किया गया है। उक्त हाटमिक्स प्लाण्ट के संचालन हेतु ईंधन के रूप में एच०एस०डी० लगभग 900 लीटर प्रतिघण्टा प्रयोग किया जाना सूचित किया गया है।
4. इकाई में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन में किया जाता है। घरेलू प्रयोजन से जनित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट स्थापित है।
5. उक्त इकाई में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में बैग फिल्टर एवं भूतल से लगभग 55 फीट ऊँची चिमनी स्थापित है।
6. उक्त इकाई में विद्युत बाधित होने की दशा में विद्युत आपूर्ति हेतु 500 के०वी०ए० क्षमता का एक कैनोपीयुक्त डी०जी० सेट स्थापित है। डी०जी० सेट से सम्बद्ध चिमनी की ऊँचाई बोर्ड मानकों के अनुरूप स्थापित है।
7. उक्त इकाई को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति के सम्बन्ध में निरीक्षण के दौरान उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अनभिज्ञता व्यक्त की गयी।
8. निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स संलग्न है।



OK

(2)


अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए उक्त इकाई मेसर्स एफको इन्फ्राटेक प्रा०लि० (मेसर्स ए०सी०पी० टोलवेज प्रा०लि०), आराजी संख्या-291/2, ग्राम- बेलखरा, परगना-अहरौरा, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर को राज्य बोर्ड से बिना वैद्य सहमति प्राप्त किये हाटमिक्स प्लाण्ट को संचालित न किये जाने के निर्देश के साथ संचालनार्थ सहमति (जल एवं वायु) प्राप्त किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।



03/01/2025  
(सुशील कुमार)

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी

~~क्षेत्रीय अधिकारी~~

  
3-1-2025  
Ro



# Uttar Pradesh State Highways Authority

Annexure No. 2  
562

4<sup>th</sup> floor, Kisan Mandi Bhawan

Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010.

Phone/Fax: 0522-4150311/377

Letter No.: 926 /Pravi-18(4-T. Booth)/(V-S)/2021-22/Lko,

Dated: 10.03.2022

To

M/s ACP Tollways Pvt. Ltd.,  
B-9, Vibhuti Khand, Gomtinagar,  
Lucknow.

**Sub:- Permission to operate Temporary Fee Collection Booth (TFCB-1A) at Km. 23+700 on Varanasi-Shaktinagar Road (SH-5A): reg**

**Ref:**

- 1- Your undertaking given vide letter no. ACPTPL / UPSHA / Lko /2021-22/122 Dt. 09.03.2022
- 2- Independent Engineer letter no. CMEC/V-S/IE/O&M-583 dated 08-03-2022

Dear Sirs,

Pursuant to your request to establish Temporary Fee Collection Booth (TFCB-1A) at Km. 23+700 on the said road as a part of toll plaza-1 (TP-1) and your subsequent undertaking as referred above, you are hereby permitted to operate the Temporary Fee Collection Booth (TFCB-1A) on the stated SOP and terms & conditions mentioned in Authority letter no. 921/ Pravi-18(4-T. Booth)/(V-S)/2021-22/Lko, dated: 08.03.2022 with no risk and cost to UPSHA w.e.f 11-03-2022.

Your's faithfully,

g

(Awanish Kumar Awasthi)

I.A.S.

Chief Executive Officer

**Copy to:** M/s CMEC Consulting Engineers Pvt. Ltd., 1st Floor, Plot No. 1065, Near Daksh Group of ITI, Maruti Nagar, Madarawa, Po- Ramana Lanka, Varanasi, Uttar Pradesh-221005 for information and necessary action.

Recd  
for ACP  
10/03/2022

g

Chief Executive Officer



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.: 60017/पत्रा० सामा०/२०२५

दिनांक:-

Date: 03/01/2025

सेवा में,

मेसर्स एफ्को इन्फ्राटेक प्रा०लि० (मे० ए०सी०पी० टोलवेज प्रा०लि०),  
आराजी संख्या-291मि, ग्राम-बेलखरा, परगना-अहरौरा, तहसील-चुनार,  
जनपद-मीरजापुर।

विषय:- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके उद्योग का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकारी द्वारा दिनांक-28.12.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्या एवं कार्यालय अभिलेखों से यह संज्ञान में आया है कि आपके हॉटमिक्स प्लाण्ट (क्षमता 200 टन/घण्टा) स्थापित/संचालित है। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय हॉटमिक्स प्लाण्ट बन्द पाया गया। कार्यालय अभिलेखानुसार आप द्वारा इकाई की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया गया है, ना ही इकाई के संचालन हेतु राज्य बोर्ड से सहमति जल एवं वायु प्राप्त की गयी है जो उपरोक्त पर्यावरणीय अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि राज्य बोर्ड से बिना सहमति (वायु एवं जल) प्राप्त किये इकाई का संचालन ना करें, अन्यथा आपके इकाई के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाईडलाइन के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये आपके इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई संचालन हेतु जिम्मेदार व्यक्तियों/स्वामी का होगा।

भवदीय,

(ऋतेश कुमार तिवारी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी



ACP TOLLWAYS PRIVATE LTD.  
SPV FOR VARANASI - SHAKTINAGAR HIGHWAY (SH-05A)  
CIN No: U45400UP2011PTC047755

**Ref: ए०सी०पी०/ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ कैम्प/2025/210**

सेवा में,  
क्षेत्रीय अधिकारी,  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
सोनभद्र।

दिनांक 08.01.2025

**विषय:- मैसर्स ए०सी०पी० टोलवेज प्रा०लि०, ग्राम बेलखरा, परगना-अहरौरा, तहसील-चुनार, जनपद-मिर्जापुर पर स्थापित हॉटमिक्स प्लांट के सम्बन्ध में।**

**सन्दर्भ : आपका पत्रांक संख्या G0017/पत्रा० सामा०/2025, दिनांक 03.01.2025 के सन्दर्भ में।**

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि हमारे हॉटमिक्स प्लांट जो मैसर्स ए०सी०पी० टोलवेज प्रा०लि०, ग्राम बेलखरा, परगना-अहरौरा, तहसील-चुनार, जनपद- मिर्जापुर पर स्थापित है। उक्त प्लांट की स्थापना मैसर्स चेतक इण्टरप्राइजेज लि० बेलखरा, अहरौरा, जनपद-मिर्जापुर उ० प्र० द्वारा वर्ष 2013 में अनुमति पत्रांक संख्या 2944/चेतक/जल प्रदूषण/2013 दिनांक 10.05.2013 जल एवं पत्रांक संख्या 2944/चेतक/वायु प्रदूषण/2013 दिनांक 10.05.2013 वायु के लिए प्राप्त की गयी थी तथा इसमें संचालन की अनुमति भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राप्त की गयी थी, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। वाराणसी से शक्तिनगर सड़क मार्ग का निर्माण का कार्य मैसर्स ए०सी०पी० टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत किया गया था।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त हॉटमिक्स प्लांट विगत कई वर्षों से बन्द है तथा उक्त प्लांट का संचालन पूर्णतः बंद है। यदि भविष्य में उक्त हॉटमिक्स प्लांट का संचालन किया जाता है तो संचालन से पूर्व राज्य बोर्ड से सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही किया जायेगा।

धन्यवाद।

मैसर्स ए०सी०पी० टोलवेज प्रा०लि०

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

**संलग्नक:**

1. उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (क्षेत्रीय कार्यालय) उत्तर मोहाल, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र द्वारा जारी जल सहमति संदर्भ संख्या 2944/चेतक/जल प्रदूषण/2013 दिनांक 10.05.2013 की छायाप्रति।
2. उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (क्षेत्रीय कार्यालय) उत्तर मोहाल, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र द्वारा जारी वायु सहमति संदर्भ संख्या 2944/चेतक/वायु प्रदूषण/2013 दिनांक 10.05.2013 की छायाप्रति।

REGISTERED OFFICE

B-9, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW - 226 010 (U.P.)  
PHONE : +91-522-4036111, 2720 520/21, FAX : +91-522-4036100



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(क्षेत्रीय कार्यालय)

उत्तर मोहाल, राबर्टसगंज, सोनभद्र

संदर्भ संख्या- 2944/चेतक/जल प्रदूषण/2013

पंजीकृत

दिनांक 10/05/13

सेवा में,

मेसर्स- चेतक इण्टरप्राइजेज लि० (एच०एम०पी०),  
बेलखरा, अहरौरा  
जनपद-मिर्जापुर(30प्र०)

**विषय:-** जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25/26 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत घरेलू/प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सहमति।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक..... शून्य ..... दिनांक..... शून्य ..... के साथ संलग्न सहमति आवेदन-पत्र का संदर्भ लें। आपके सहमति आवेदन-पत्र का परीक्षण किया गया तथा सशर्त सहमति आदेश पत्रांक..... 2944 ..... दिनांक 10/05/13 ..... संलग्न है। आपका ध्यान निम्न बिन्दु सं० 01 से 12 पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा है।

1. सहमति शर्तों तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें। तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
2. जल सप्लाई स्रोत के विभिन्न बिन्दुओं पर उत्प्रवाह मापक मीटर अवश्य लगवायें। उत्प्रवाह मीटर की मापी गयी रीडिंग हर महीने समय से अवश्य भेजें।
3. उद्योग से प्रतिदिन निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह को मापने हेतु ड्रेन में अन्तिम निस्तारण बिन्दु से पूर्व वी-नाच या अन्य कोई मापक यंत्र लगवायें वी-नाच की मापी गई सूचनायें तथा केलोब्रेशन चार्ट समय-समय पर प्रेषित करें।
4. घरेलू उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र के डिजायन तथा विस्तृत विवरण और जल निस्तारण व्यवस्था का रेखांकित मानचित्र (ले आउट प्लान) इस प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
5. आपको उद्योग की आडिट की हुई वर्ष 2011-12 की बैलेन्स शीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल + वर्तमान - वर्तमान जिम्मेदारियों) का सत्यापित प्रमाण-पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
6. यह सहमति केवल घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु मान्य है। औद्योगिक उत्प्रवाह किसी भी स्थिति में निस्तारण न किया जाय।
7. कृपया स्थापित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र का संचालन तथा रख-रखाव सुनिश्चित करें जिससे कि उत्प्रवाह का निस्तारण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

कमरा.....2/.....


(2)

8. कृपया ठोस अवशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी, सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी स्रोत का जल प्रदूषित न हो।
9. उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजें।
10. आपके उपकर अधिनियम, 1977 में वॉछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध में प्रगति भेजने की सलाह दी जाती है।
11. वहिस्राव मात्र घरेलू प्रयोजन से जनित होगा जिसका निस्तारण सेप्टिक टैंक/सोकपिट से करना सुनिश्चित करें।

इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड के लिए आरक्षित रखती है।


संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

  
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ० सं० ...../जल प्रदूषण/.....तददिनांक.....

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी सहमति (वृत्त-9) उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
क्षेत्रीय अधिकारी



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(क्षेत्रीय कार्यालय)

उत्तर मोहाल, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र

मुख्यालय : तृतीय तल, 'बी' ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए  
वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म XV

## सहमति आदेश-पत्र

संख्या.....२२५५/चेतक/ सहमति जल/2013 सोनभद्र, दिनांक.10.05/13

विषय:- मेसर्स- चेतक इण्टरप्राइजेज लि०(एच०एम०पी०), बेलखरा, अहरौरा, जनपद-मिर्जापुर (30प्र०) को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 के अन्तर्गत उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति।

संदर्भ:- आवेदन-पत्र संख्या.....शून्य.....दिनांक.....शून्य.....

1. जल राशि या सीवर में या भूमि पर वहिःश्राव के निस्तारण के लिये जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिये उपर्युक्त आवेदन-पत्र प्राप्त के निर्देश में मेसर्स- चेतक इण्टरप्राइजेज लि०(एच०एम०पी०), को जल (को उसके परिसर से निकालने वाले उसके घरेलू नगरपालिका/औद्योगिक वहिःश्राव के स्थानीय सरिता/ नदी/कुएं में/भूमि पर निस्तारण करने के लिये अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।
2. यह सहमति वर्ष 2013 के मास अप्रैल दिनांक 30.04.2013 से 31.12.2013 अवधि तक मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुये भी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत वर्णित किसी/शर्तों पर पुनः विचार करने या संशोधन के लिये अधिनियम के अनुसार जो उचित हो का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

राबर्ट्सगंज-सोनभद्र

सहमति आदेश सं०.....सहमति/ दिनांक ..... का संलग्नक

## सहमति शर्तें

1. अधिकतम दैनिक उत्प्रवाह और प्रति घंटे में निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह की दर निम्न से अधिक होनी चाहिए

उत्प्रवाह का प्रकार	अधिकतम दैनिक निस्तारण मी <sup>3</sup>	अधिकतम प्रति घंटा निस्तारण
घरेलू औद्योगिक		

(अ) प्रक्रिया जल ब्लीड धोने के  
जल सहित

(ब) शीतलन जल

2. ब्लीड जल सहित प्रक्रिया में प्रयुक्त जल तथा घरेलू उत्प्रवाह को एकत्र करने के लिये अलग-अलग बन्द जल प्रवाह की व्यवस्था बनाये जाये। एकत्र करने की व्यवस्था के अन्तिम छोर पर टर्मिनल मेनहोल, उत्प्रवाह मापन का एक नमूना एकत्र करने की व्यवस्था होने चाहिये। कोई भी उत्प्रवाह टर्मिनल मेनहोल के डाउन स्ट्रीम पर सीवर में प्रवेश नहीं करना चाहिये। सहमति आवेदन-पत्र में सूचित उत्प्रवाह के अलावा अन्य कोई उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिये। तथा यह भी सुनिश्चित करें कि घरेलू उत्प्रवाह स्टोम वाटर ट्रेन में निस्तारित न हो।
3. घरेलू उत्प्रवाह सेप्टिक टैंक या अन्य शुद्धिकरण संयंत्र में शुद्धिकृति संयंत्र में शुद्धिकृति किया जाये जिससे शुद्धिकृति उत्प्रवाह निम्न मानकों के अनुरूप हो।

20 से० पर 5 दिन को बी०ओ०डी०

30 मिग्रा/ली० से अधिक न हो।

कुल निलम्बित ठोस

100 मिग्रा/ली० से अधिक न हो।

4. सभी प्रक्रियाओं से जनित उत्प्रवाह, ब्लीड जल, शीतलन उत्प्रवाह, फर्श व उपकरणों की धुलाई से जनित उत्प्रवाह सहित औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित होने से पूर्व इस प्रकार शुद्धिकृति किया जाये की उत्प्रवाह बोर्ड द्वारा सं० 713/37/83/19/ए आर एन दिनांक 06.04.83 में निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

5. अन्य प्रचालक जिनके मानक में न दिये हो उनका मान एद्योग में निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त किये जाने वाले जल के मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।

6. घरेलू तथा औद्योगिक उत्प्रवाह के नमूने एकत्र करने व विश्लेषित करने की विधि भारतीय मानक 4733 व 2488 और इसके बाद के संशोधनों के अनुरूप होनी चाहिये।

7. विश्लेषित करने के लिये नमूना शर्त सं० 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल से एकत्रित किया जाना चाहिये।

8. शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल ऊपर से ढके, ताले लगाने की व्यवस्था युक्त, कम से कम Mx15 साइज और आवश्यक गहराई के ईट या सीमेन्ट कर्कट के चेम्बर होना चाहिये। टर्मिनल मेनहोल में उत्प्रवाह नापने तथा विश्लेषण के लिये नमूना लेने की व्यवस्था उपलब्ध होना चाहिए।

9. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह मिलाकर (उपरोक्त संख्या 2 के प्राविधानों के अनुसार) एक ही निस्तारण बिन्दु से निस्तारित किया जाये। इस संयुक्त उत्प्रवाह निस्तारण बिन्दु पर उत्प्रवाह मापने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए।
10. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह शर्त संख्या 6 में वर्णित संयुक्त निस्तारण बिन्दु से अन्तिम निस्तारण बिन्दु..... में पक्के, ढके हुए बन्द पाइप युक्त ड्रेन से होकर निस्तारित किया जाय। पक्की ड्रेन या बन्द पाइप को इस प्रकार बिछाना चाहिए जिससे कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसमें नुकसान न पहुँचाया जाये। टर्मिनल निस्तारण बिन्दु को भी टर्मिनल मेनहोल की भाँति बनाया जाए बन्द पाइपों में स्थल की आवश्यकता के अनुसार माध्यमिक निरीक्षण कक्ष बनवाये जायें।
11. इन शर्तों का विशेष रूप से उत्प्रवाह शुद्धिकरण, उत्प्रवाह मान, नमूना एकत्र करने की व्यवस्था टर्मिनल निस्तारण बिन्दु के सम्बन्ध में दिनांक सितम्बर, 2013 या उससे पहले पूर्ण अनुपालन किया जाये।
12. बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक महीने की दस तारीख तक मासिक प्रगति आख्या, सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या के साथ जरूर भेजें।
13. विस्तृत निर्माण स्थल रेखाचित्र उत्प्रवाह ले जाने वाली पाइप लाइन की अनुदैर्घ्य काट व प्लान तथा शर्त 8, 9 व 10 में वर्णित अन्तिम निस्तारण बिन्दु का स्थल रेखाचित्र इस सहमति आदेश के जारी करने के एक माह के भीतर बोर्ड को भेजें।
14. परिसर में एकत्र होने वाले बरसात/तूफान के जल को भली-भाँति रखा जाये और किसी बिन्दु पर घरेलू व औद्योगिक अवशिष्ट से मिलने न दिया जाय। कच्चे माल, उत्पाद या अन्य कोई पदार्थ जो तूफानी जल के साथ बहकर जा सकते हों, का खुले ढेर न लगाया जाय।
15. फ़ैक्ट्री परिसर में उत्पन्न होने वाली सभी ठोस अवशिष्ट पदार्थों का भली-भाँति वर्गीकरण व निम्न प्रकार निस्तारण किया जाये—
1. अक्रिय पदार्थ होने पर उसका भूमि भराव के लिये इस प्रकार प्रयोग सुनिश्चित किया जाए कि रिसाव की स्थिति पैदा न हो जिससे कि वह भूमिगत जल में प्रवेश न करे या बरसाती, तूफानी जल के द्वारा बहा न दिया जाय।
  2. ज्वलनशील कार्बनिक पदार्थ होने पर नियंत्रण प्रज्वलन किया जाये।
  3. जैविक अवघटय पदार्थ होने पर कम्पोस्टिक की जाए।
16. विषैले पदार्थों का विषैलापन अगर सम्भव हो सके तो दूर किया जाए अन्यथा उन्हें बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त कर सुरक्षित क्षेत्रों में मुहरबन्द स्टील ड्रम में रख और दफनाया जाए। विषमुक्त करने या मुहरबन्द करने और दफनाने का कार्य बोर्ड के अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में अनुमति लेकर किया जाय।
17. यदि फ़ैक्ट्री के किसी संयंत्र/संयंत्रों में कोई दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जिसके फलस्वरूप निस्तारित उत्प्रवाह की मात्रा बढ़ जाए और/या उपरोक्त पैरा 3 व 4 में वर्णित मानकों का उल्लंघन हो तो बोर्ड की टेलीग्राफिकली तथा आंचलिक स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी को स्थिति बताते हुए सूचित किया जाए।
18. प्रार्थी फ़ैक्ट्री के अन्दर व परिसर में अच्छा रख-रखाव स्थापित करें। सभी पाइप, वल्व, सीवर और ड्रेन रिसावरोधी होने चाहिए। फर्श की धुलाई से जनित उत्प्रवाह, उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए और शर्त के अनुसार किसी बरसाती/तूफानी जल की नाली या खुले स्थान पर नहीं जाने दिया जाना चाहिए।
19. प्रार्थी को टर्मिनल, मेनहोल तथा अंकित निस्तारण बिन्दु पर बोर्ड के स्टाफ या बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेन्सी के लिए उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

20. शुद्धिकृत घरेलू व प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह का नमूना किसी भी सामान्य उत्पादन कर दिए जाने वाले दिन तीन महीने में एक बार लिया जाए और उन्हीं शर्तों की संख्या 3 व 4 में दी हुई सीमा के अनुसार सभी प्रचालकों के लिए विश्लेषित किया जाए। संलग्न प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद तुरन्त सम्य-समय पर विश्लेषण आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
21. प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किए इस सहमति आदेश में दिए गये निर्देश तथा बाद में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करें। प्रार्थी/कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करें और/या इस सहमति आदेश के शर्तों का उल्लंघन करें तो वह कानून/अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगी।
22. प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्रवाह की गुणता व मात्रा, उत्प्रवाह निस्तारण की दर, उत्प्रवाह का तापमान न बदले या परिवर्तन न करें।
23. उपरोक्त शर्त जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27(2) के अन्तर्गत समाप्त नहीं कर दी जाती है, तब तक लागू रहेगी।
24. प्रार्थी को सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से कम 30 दिन पहले या प्रस्तावित नये व परिवर्तित निस्तारण बिन्दु के चालू होने और/या निस्तारण किए जाने के 30 दिन पूर्व, जो भी पहले हो, तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।
25. एक निरीक्षण पुस्तिका खाली जानी चाहिए और उस बोर्ड के अधिकारियों को फैक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
26. प्रार्थी उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र या संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लाये सम्बन्धी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से सम्बन्धित सूचना फैक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी और या बोर्ड को अवश्य उपलब्ध करायें।
27. फैक्ट्री परिसर में अन्तिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर बहने वाली नदी या सिंचाई योग्य फार्म, तक उत्प्रवाह ले जाने वाला चैनल, सीवर, ड्रेन या नाले में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाए जल के भराव जिससे एनारोबिक स्थितियाँ या मच्छरों की पैदावार हो, को नहीं होने दिया जाए।
28. निदेशक (निदेशकों), साझेदार (साझेदारों), प्रोपराइटर (प्रोपराइटरों) के नाम, व पते व टेलीफोन की सूची दी जाय।
29. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिए गए सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(क्षेत्रीय कार्यालय)

उत्तर मोहाल, राबर्टसगंज, सोनमद्र

संदर्भ संख्या- २९५५/चेतक/वायु प्रदूषण/2013

पंजीकृत

सेवा में,

दिनांक 10/05/13

मेसर्स- चेतक इण्टरप्राइजेज लि० (एच०एम०पी०),  
बेलखरा, अहरौरा,  
जनपद-मिर्जापुर (उ०प्र०)

विषय:- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संदर्भ में कृपया आप अपने आवेदन-पत्र दिनांक शून्य का अवलोकन करें। आपके पत्र का परीक्षण किया गया और आपका सशर्त सहमति आदेश सं० २९५५ सहमति (वायु) आदेश / २०१३ दिनांक 10/05/13 की संलग्न किया जा रहा है। आपका ध्यान क्रमांक संख्या 01,02,04,08-13 जो नीचे वर्णित है, आकर्षित किया जाता है।

1. सहमति में दिये गये शर्तों एवं नीचे दिये गये विभिन्न बिन्दुओं की सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. के०वी०ए० क्षमता के डी०जी० सेट से संलग्न चिमनी की ऊँचाई भूतल/भवन छत से मी० ऊँचा किया जाय।
3. फ्लू गैस, प्रक्रिया उत्सर्जन तथा वायु गुणता की अनुश्रवण आख्या इस पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
4. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था जैसे ई०पी० एक्ट, 1986 का प्राविधान, संचालन एवं रख-रखाव इस प्रकार किया जाय, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
5. इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर समस्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की डिजाइन, कार्यक्षमता सम्बन्धी आख्या एवं अपने उद्योग का ले-आऊट प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
6. आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे वायु मण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे।
7. उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें, जिससे वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना सुनिश्चित करें।
8. यह सहमति केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता एवं वर्तमान उत्सर्जन की मात्रा के लिए ही मान्य है।

कमश.....2/.....


(2)

9. आपके उद्योग की आडिट की हुई नवीनतम बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति + वर्तमान सम्पत्ति-देनदारियाँ) का सत्यापित प्रमाण-पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
10. ईंधन का प्रयोग, उत्पादन प्रक्रिया हेतु नहीं किया जायेगा।
11. आपको उपकर अधिनियम, 1977 में वाँछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध में प्रति भेजने की सलाह दी जाती है।
12. स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का संचालन एवं रख-रखाव इस प्रकार सुनिश्चित करें कि आस-पास के पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हों, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति, बोर्ड के लिए आरक्षित रखती है।


संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

  
क्षेत्रीय अधिकारी

संदर्भ सं० ...../वायु प्रदूषण/.....तददिनांक.....

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी सहमति (वृत्त-9) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
क्षेत्रीय अधिकारी



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (क्षेत्रीय कार्यालय)

उत्तर मोहाल, राबर्टसगंज, सोनभद्र

मुख्यालय : तृतीय तल, 'बी' ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

## सहमति आदेश-पत्र

संख्या...११५५/चेतक/सहमति वायु आदेश / १०१३.....सोनभद्र, दिनांक...१०/०५/१३

विषय:-सहमति-मेसर्स- चेतक इण्टरप्राइजेज लि०(एच०एम०पी०), बेलखरा, अहरौरा, जनपद-मिर्जापुर(उ०प्र०) वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण)- अधिनियम, 1981 की धारा 21/22 के अन्तर्गत।

संदर्भ:- आवेदन संख्या.....शून्य.....दिनांक.....शून्य.....

1. वायु अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन-प्रपत्र मे० चेतक इण्टरप्राइजेज लि०(एच०एम०पी०), को अपने संयंत्रों से संलग्न में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायु मंडल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।
2. यह सहमति वर्ष 2013 के मास अप्रैल दिनांक 30.04.2013 से 31.12.2013 अवधि तक मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुये भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 धारा (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों पर पुनः विचार करने के लिये जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिये आरक्षित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

अनुलग्नक : संलग्नक  
(सहमति शर्तें)

  
क्षेत्रीय अधिकारी

(2)

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## सोनभद्र

संलग्नक सहमति आदेश सं०...../सहमति (वायु) आदेश .....

दिनांक.....

### सहमति शर्तें

1. फलू गैस को प्रतिघंटा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये चिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए।

i. सम्बद्ध चिमनी

ii. —

iii. —

iv. —

v. —

2. वायु मंडल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा निम्न मानकों के अनुरूप हो।

(i)	सस्पैन्डेड पार्टिकुलेट मैटर (एस०पी०एम०)	मिलीग्राम प्रति नार्मल क्यूबिक मीटर
(ii)	मेटल डस्ट (आयरन, जिंक, कापर आदि)	—
(iii)	हाइड्रोजन, सल्फ ट्राई आक्साइड सल्फेट मिस्ट	—
(iv)	सल्फर ड्राई आक्साइड	पी०पी०एम०
(v)	कार्बन मोना आक्साइड	—
(vi)	हाइड्रोकार्बन	—
(vii)	अमोनिया	—
(viii)	फ्लोरीन	—
(ix)	मरकैप्टन	—
(x)		


3. समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालकों की मात्रा भी मानकों के अनुरूप हो।

4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिस्थापन उद्योग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हो।

5. बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप ही उद्योग द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों में संशोधन अथवा प्रतिस्थापना (यदि सक्षम एवं अनुरूप न पाये गये हों) किया जा सकता है।

6. बिन्दु 4, 5 एवं 7 में इंगित नियन्त्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रों तथा अनुश्रवण संयंत्रों को कार्यरत स्थिति में इकाई में रखा जाये।
7. इकाई परिक्षेत्र में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी/स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाये।
8. सहमति आदेश निर्गत किये जाने की दिनांक के एक माह के भीतर इकाई के समस्त स्टैक से हो रहे उत्सर्जन के अनुश्रवण किये जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाये। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाय एवं इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
9. (अ) उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाए एवं इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।  
(ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाये जब तक सहमति आदेश की समस्त शर्तों का अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाए।
10. किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण में निर्धारित मानकों संदर्भित धारा-29 से अधिक होता है। या होने की सम्भावना हो तो बोर्ड और अन्य संस्थानों जो संदर्भित धारा-29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) धारा 1983 वर्णित है, जो सूचित करना चाहिए।
11. इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाए।
12. इकाई का रख-रखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु से नहीं होना चाहिए।
13. इकाई द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों अथवा बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा चिमनी अथवा किसी अन्य आउट लेट से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किए जाने के सम्बद्ध समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान किया जाए।

14. इकाई से आबादी, कृषक उपज इत्यादि को कोई भी नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाए तथा हटाने की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाए।
15. आवेदनकर्ता/इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिए जाने वाले समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिये गये आदेश/निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता/इकाई पर विधिक प्राविधान के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
16. उपरोक्त इंगित समस्त शर्तें अधिनियम के धारा 21(6) के अन्तर्गत निरस्त न किये जाने तक वैध रहेगी।
17. आवेदनकर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन-पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाए। यह आवेदन-पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने से 30 दिन अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी की कार्यान्वयन तिथि हो एवं प्रस्तावित नवीन उत्सर्जन की तिथि से 30 दिन पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाए।
18. बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करा दी जावेगी।
19. आवेदक को निरीक्षणकर्ता/बोर्ड को अनुश्रवण एवं प्रदूषण संयंत्रों के निर्माण अधिस्थापन अथवा संचालन तथा अन्य सभी सूचनायें जो वायु प्रदूषण नियंत्रण से सम्बन्धित हो, उपलब्ध करानी होगी।
20. इस सहमति आदेश की प्राप्ति 30 दिन के अन्दर अपने उद्योग के डाइरेक्टरर्स, पार्टनर्स, प्रोपराइटर्स, का पता, दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।
21. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुये भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सोनभद्र वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21(6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिये जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिये आरक्षित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

  
 क्षेत्रीय अधिकारी



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय : मकान सं० 162 उत्तर-मोहाल, राबर्टसगंज, सोनभद्र

संदर्भ 1972/चतक (H.M.)/NOC/2012

दिनांक 07.06.2012

सेवा में,

मेसर्स-चेतक इण्टर प्राइजेज लि., एच०एम० प्लाण्ट।

बेलखरा, अहरौरा, चुनार,

जनपद- मिर्जापुर। उ०प्र०।

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नयी इकाई की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक ..... पूरुषि..... का सन्दर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है।

(क) स्थल अ.नं०-29.1/2

ग्राम-बेलखरा, अहरौरा, चुनार,

जनपद- मिर्जापुर। उ०प्र०।

(ख) उत्पादन हॉट मिक्स मैटीरियल-1200 एम०टी०/दिन

(ग) मुख्य कच्चे माल स्टोन गिट्ट, विट्टमिन

1.200.000.000/दिन

(घ) औद्योगिक उत्प्रेषण की मात्रा शून्य

(ङ) प्रयुक्त ईंधन 5.00 करोड़ टन सेट हेतु डीजल-100 लीटर/घंटा

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यन्त्र-संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रेषण, शुद्धिकरण यन्त्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गई प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरन्तर प्रेषित करें।
3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम दो माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उत्तर देते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाय। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के प्रत्येक कार्यवाही की जा सकती है।
4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाय।

5. घरेलू उत्प्रवाह, जिसकी मात्रा ..... 02 किलो0 ..... से अधिक नहीं होगी। सैण्टिक टैंक एवं सैण्टिपिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाय।
6. प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिए दिए गए आदेश की प्रति उद्योग कार्यालय में दिनांक ..... 15.08.2012 ..... तक अवश्य प्रस्तुत किया जाय।
7. प्रस्तावित उद्योग-स्थल के चारों ओर अधिकतम ..... 2.0 ..... मीटर चौड़ी हरित पट्टीका का विकास किया जाय।
8. परिसंकटमय रसायनों के विनिर्माण भण्डारों तथा आपात नियम 1969 के अन्तर्गत आंकड़े शीट, दुर्घटना की सूचना आदि सूचनायें विभिन्न प्रारूपों में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
9. पर्यावरण स्टेटमेन्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विलम्बतम 30 सितम्बर तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
10. उद्योग द्वारा एक्सप्लोसिव विभाग द्वारा निर्धारित नियमों का अनुपालन किया जाय।
11. लोकदायित्व बीमा अधिनियम 1991 की अनुपालन सुनिश्चित करें।
12. उद्योग द्वारा अग्नि शमन हेतु उचित व्यवस्था की जाय।
13. उद्योग द्वारा यदि किसी प्रकार का सालिड वेस्ट निकलता है तो इसके निस्तारण हेतु आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण के उपाय किये जायेंगे, ताकि पर्यावरण किसी भी रूप में प्रभावित न हो।
14. उद्योग द्वारा प्रेषित शपथ पत्र दिनांक ..... का पूर्णतः पालन किया जायेगा।
15. कच्चा पदार्थ के मिक्सिंग हेतु प्रस्तावित व्यावहारिक होटिंग हेतु 500ओ0 एवं 500 डी0ओ0 के रूप में प्रयुक्त इंधन जिसकी मात्रा 1000 ली0/दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए।
16. उद्योग द्वारा होटिंग प्रक्रिया से जनित गैसीय उत्सर्जन का निस्तारण भू-तल से लगभग 10 मी0 ऊँची चिमनी द्वारा किया जायेगा।
17. 500 कै0वी0ए0 के डी0जी0 सेट हेतु ध्वनि अवरोधक के साथ संलग्न एक्जॉस्ट पाइप को ऊँचाई आस-पास के भवन से लगभग 5.0 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।
18. स्वयं अधिकारी द्वारा निर्गत भू-प्रयोग प्रमाण पत्र अनापात्त निर्माण गताय से एक माह के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
19. स्मरित कार्य बन्द जेड में दिया जायेगा।
20. 10,000/- मात्र की बैंक गारंटी निर्धारित प्रारूप में एक माह के अन्दर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
21. उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न किये जाने पर निर्गत एनओसी0 स्वतः अनस्तृत समझा जायेगा।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकता है। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 15.08.2012 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित किया जाय।

भवदीय,

1  
क्षेत्रीय अधिकारी

पृष्ठांकन संख्या

/ एन० ओ० सी०

तद दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य पर्यावरण अभियन्ता-वृत्त 2 उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तृतीय तल, बी-ब्लॉक, पिकप भवन गोमती नगर, लखनऊ-226010
2. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, मिर्जापुर-30501
- 3.

क्षेत्रीय अधिकारी

7c ml



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (क्षेत्रीय कार्यालय)

उत्तर मोहाल, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र

मुख्यालय : तृतीय तल, 'बी' ब्लॉक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

## सहमति आदेश-पत्र

संख्या...2945/चेतक/सहमति वायु आदेश / ...2013...सोनभद्र, दिनांक...10/05/13

विषय:-सहमति-मेसर्स- चेतक इण्टरप्राइजेज लि०(एच०एम०पी०), बेलखरा,  
अहौरा, जनपद-मिर्जापुर(उ०प्र०) वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं  
निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 21/22 के अन्तर्गत।

संदर्भ:- आवेदन संख्या.....शून्य.....दिनांक.....शून्य.....

1. वायु अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन-प्रपत्र मे० चेतक इण्टरप्राइजेज लि०(एच०एम०पी०), को अपने संयंत्रों से संलग्न में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायु मंडल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।
2. यह सहमति वर्ष 2013 के मास अप्रैल दिनांक 30.04.2013 से 31.12.2013 अवधि तक मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुये भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 धारा (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों पर पुनः विचार करने के लिये जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिये आरक्षित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

अनुलग्नक : संलग्नक  
(सहमति शर्तों)

  
क्षेत्रीय अधिकारी

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सोनभद्र

संलग्नक सहमति आदेश सं०...../सहमति (वायु) आदेश .....

दिनांक.....

## सहमति शर्तें

1. फलू गैस को प्रतिघंटा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये चिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए।
  - i. सम्बद्ध चिमनी
  - ii. —
  - iii. —
  - iv. —
  - v. —
2. वायु मंडल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा निम्न मानकों के अनुरूप हो।
 

(i) सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एस०पी०एम०)	मिलीग्राम प्रति नार्मल क्यूबिक मीटर
(ii) मेटल डस्ट (आयरन, जिंक, कापर आदि)	—
(iii) हाईड्रोजन, सल्फ ट्राई आक्साईड सल्फेट मिस्ट	—
(iv) सल्फर ट्राई आक्साइड	पी०पी०एम०
(v) कार्बन मोना आक्साइड	—
(vi) हाइड्रोकार्बन	—
(vii) अमोनिया	—
(viii) फ्लोरीन	—
(ix) मरकैप्टन	—
(x)	—
3. समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालकों की मात्रा भी मानकों के अनुरूप हो।
4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिस्थापन उद्योग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हो।
5. बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप ही उद्योग द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों में संशोधन अथवा प्रतिस्थापना (यदि सक्षम एवं अनुरूप न पाये गये हों) किया जा सकता है।

(3)

6. बिन्दु 4, 5 एवं 7 में इंगित नियन्त्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रों तथा अनुश्रवण संयंत्रों को कार्यरत स्थिति में इकाई में रखा जाये।
7. इकाई परिक्षेत्र में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी/स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाये।
8. सहमति आदेश निर्गत किये जाने की दिनांक के एक माह के भीतर इकाई के समस्त स्टैक से हो रहे उत्सर्जन के अनुश्रवण किये जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाये। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाय एवं इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
9. (अ) उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाए एवं इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।  
  
(ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाये जब तक सहमति आदेश की समस्त शर्तों का अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाए।
10. किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण में निर्धारित मानकों संदर्भित धारा-29 से अधिक होता है। या होने की सम्भावना हो तो बोर्ड और अन्य संस्थानों जो संदर्भित धारा-29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) धारा 1983 वर्णित है, जो सूचित करना चाहिए।
11. इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाए।
12. इकाई का रख-रखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु से नहीं होना चाहिए।
13. इकाई द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों अथवा बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा चिमनी अथवा किसी अन्य आउट लेट से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किए जाने के सम्बद्ध समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान किया जाए।

14. इकाई से आबादी, कृषक उपज इत्यादि को कोई भी नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाए तथा हटाने की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाए।
15. आवेदनकर्ता/इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिए जाने वाले समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिये गये आदेश/निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता/इकाई पर विधिक प्राविधान के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
16. उपरोक्त इंगित समस्त शर्तें अधिनियम के धारा 21(6) के अन्तर्गत निरस्त न किये जाने तक वैध रहेगी।
17. आवेदनकर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन-पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाए। यह आवेदन-पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने से 30 दिन अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी की कार्यान्वयन तिथि हो एवं प्रस्तावित नवीन उत्सर्जन की तिथि से 30 दिन पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाए।
18. बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करा दी जावेगी।
19. आवेदक को निरीक्षणकर्ता/बोर्ड को अनुश्रवण एवं प्रदूषण संयंत्रों के निर्माण अधिस्थापन अथवा संचालन तथा अन्य सभी सूचनायें जो वायु प्रदूषण नियंत्रण से सम्बन्धित हो, उपलब्ध करानी होगी।
20. इस सहमति आदेश की प्राप्ति 30 दिन के अन्दर अपने उद्योग के डाइरेक्टरर्स, पार्टनर्स, प्रोपराइटर्स, का पता, दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।
21. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुये भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सोनभद्र वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21(6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिये जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिये आरक्षित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

  
 क्षेत्रीय अधिकारी

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (क्षेत्रीय कार्यालय)



उत्तर मोहाल, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र

मुख्यालय : तृतीय तल, 'बी' ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए  
वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म XV

## सहमति आदेश-पत्र

संख्या...29244/चेतक/ सहमति जल/2013 सोनभद्र, दिनांक...10.10.13

विषय:- मेसर्स- चेतक इण्टरप्राइजेज लि०(एच०एम०पी०), बेलखरा, अहरौरा, जनपद-मिर्जापुर (उ०प्र०) को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 के अन्तर्गत उत्प्रावाह निस्तारण हेतु सहमति।

संदर्भ:- आवेदन-पत्र संख्या.....शून्य.....दिनांक.....शून्य.....

1. जल राशि या सीवर में या भूमि पर वहिःश्राव के निस्तारण के लिये जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिये उपर्युक्त आवेदन-पत्र प्राप्त के निर्देश में मेसर्स- **चेतक इण्टरप्राइजेज लि०(एच०एम०पी०)**, को जल (को उसके परिसर से निकालने वाले उसके घरेलू नगरपालिका/औद्योगिक वहिःश्राव के स्थानीय सरिता/ नदी/कुएं में/भूमि पर निस्तारण करने के लिये अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।
2. यह सहमति वर्ष **2013** के मास **अप्रैल** दिनांक **30.04.2013** से **31.12.2013** अवधि तक मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुये भी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत वर्णित किसी/शर्तों पर पुनः विचार करने या संशोधन के लिये अधिनियम के अनुसार जो उचित हो का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

राबर्टसगंज-सोनभद्र

सहमति आदेश सं०.....सहमति/ दिनांक..... का संलग्नक

## सहमति शर्तें

1. अधिकतम दैनिक उत्प्रवाह और प्रति घंटे में निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह की दर निम्न से अधिक होनी चाहिए

उत्प्रवाह का प्रकार

अधिकतम दैनिक  
निस्तारण मी<sup>3</sup>

अधिकतम प्रति घंटा  
निस्तारण

घरेलू  
औद्योगिक

(अ) प्रक्रिया जल ब्लीड धोने के  
जल सहित

(ब) शीतलन जल

2. ब्लीड जल सहित प्रक्रिया में प्रयुक्त जल तथा घरेलू उत्प्रवाह को एकत्र करने के लिये अलग-अलग बन्द जल प्रवाह की व्यवस्था बनाये जाये। एकत्र करने की व्यवस्था के अन्तिम छोर पर टर्मिनल मेनहोल, उत्प्रवाह मापन का एक नमूना एकत्र करने की व्यवस्था होने चाहिये। कोई भी उत्प्रवाह टर्मिनल मेनहोल के डाउन स्ट्रीम पर सीवर में प्रवेश नहीं करना चाहिये। सहमति आवेदन-पत्र में सूचित उत्प्रवाह के अलावा अन्य कोई उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिये। तथा यह भी सुनिश्चित करें कि घरेलू उत्प्रवाह स्टोम वाटर ड्रेन में निस्तारित न हो।
3. घरेलू उत्प्रवाह सेप्टिक टैंक या अन्य शुद्धिकरण संयंत्र में शुद्धिकृति संयंत्र में शुद्धिकृति किया जाये जिससे शुद्धिकृति उत्प्रवाह निम्न मानकों के अनुरूप हो।

20 से० पर 5 दिन को बी०ओ०डी०

30 मिग्रा/ली० से अधिक न हो।

कुल निलम्बित ठोस

100 मिग्रा/ली० से अधिक न हो।

4. सभी प्रक्रियाओं से जनित उत्प्रवाह, ब्लीड जल, शीतलन उत्प्रवाह, फर्श व उपकरणों की धुलाई से जनित उत्प्रवाह सहित औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित होने से पूर्व इस प्रकार शुद्धिकृति किया जाये की उत्प्रवाह बोर्ड द्वारा सं० 713/37/83/19/ए आर एन दिनांक 06.04.83 में निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

5. अन्य प्रचालक जिनके मानक में न दिये हो उनका मान एद्योग में निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त किये जाने वाले जल के मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।

6. घरेलू तथा औद्योगिक उत्प्रवाह के नमूने एकत्र करने व विश्लेषित करने की विधि भारतीय मानक 4733व 2488 और इसके बाद के संशोधनों के अनुरूप होनी चाहिये।

7. विश्लेषित करने के लिये नमूना शर्त सं० 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल से एकत्रित किया जाना चाहिये।

8. शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल ऊपर से ढके, ताले लगाने की व्यवस्था युक्त, कम से कम Mx15 साइज और आवश्यक गहराई के ईट या सीमेन्ट कर्कट के चेम्बर होना चाहिये। टर्मिनल मेनहोल में उत्प्रवाह नापने तथा विश्लेषण के लिये नमूना लेने की व्यवस्था उपलब्ध होना चाहिए।

9. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह मिलाकर (उपरोक्त संख्या 2 के प्राविधानों के अनुसार) एक ही निस्तारण बिन्दु से निस्तारित किया जाये। इस संयुक्त उत्प्रवाह निस्तारण बिन्दु पर उत्प्रवाह मापने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए।
10. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह शर्त संख्या 6 में वर्णित संयुक्त निस्तारण बिन्दु से अन्तिम निस्तारण बिन्दु..... में पक्के, ढके हुए बन्द पाइप युक्त ड्रेन से होकर निस्तारित किया जाय। पक्की ड्रेन या बन्द पाइप को इस प्रकार बिछाना चाहिए जिससे कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसमें नुकसान न पहुँचाया जाये। टर्मिनल निस्तारण बिन्दु को भी टर्मिनल मेनहोल की भाँति बनाया जाए बन्द पाइपों में स्थल की आवश्यकता के अनुसार माध्यमिक निरीक्षण कक्ष बनवाये जायें।
11. इन शर्तों का विशेष रूप से उत्प्रवाह शुद्धिकरण, उत्प्रवाह मान, नमूना एकत्र करने की व्यवस्था टर्मिनल निस्तारण बिन्दु के सम्बन्ध में दिनांक सितम्बर, 2013 या उससे पहले पूर्ण अनुपालन किया जाये।
12. बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक महीने की दस तारीख तक मासिक प्रगति आख्या, सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या के साथ जरूर भेजें।
13. विस्तृत निर्माण स्थल रेखाचित्र उत्प्रवाह ले जाने वाली पाइप लाइन की अनुदैर्घ्य काट व प्लान तथा शर्त 8, 9 व 10 में वर्णित अन्तिम निस्तारण बिन्दु का स्थल रेखाचित्र इस सहमति आदेश के जारी करने के एक माह के भीतर बोर्ड को भेजें।
14. परिसर में एकत्र होने वाले बरसात/तूफान के जल को भली-भाँति रखा जाये और किसी बिन्दु पर घरेलू व औद्योगिक अवशिष्ट से मिलने न दिया जाय। कच्चे माल, उत्पाद या अन्य कोई पदार्थ जो तूफानी जल के साथ बहकर जा सकते हों, का खुले ढेर न लगाया जाय।
15. फैक्ट्री परिसर में उत्पन्न होने वाली सभी ठोस अवशिष्ट पदार्थों का भली-भाँति वर्गीकरण व निम्न प्रकार निस्तारण किया जाये—
1. अक्रिय पदार्थ होने पर उसका भूमि भराव के लिये इस प्रकार प्रयोग सुनिश्चित किया जाए कि रिसाव की स्थिति पैदा न हो जिससे कि वह भूमिगत जल में प्रवेश न करे या बरसाती, तूफानी जल के द्वारा बहा न दिया जाय।
  2. ज्वलनशील कार्बनिक पदार्थ होने पर नियंत्रण प्रज्वलन किया जाये।
  3. जैविक अवघट्य पदार्थ होने पर कम्पोस्टिक की जाए।
16. विषैले पदार्थों का विषैलापन अगर सम्भव हो सके तो दूर किया जाए अन्यथा उन्हें बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त कर सुरक्षित क्षेत्रों में मुहरबन्द स्टील ड्रम में रख और दफनाया जाए। विषमुक्त करने या मुहरबन्द करने और दफनाने का कार्य बोर्ड के अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में अनुमति लेकर किया जाय।
17. यदि फैक्ट्री के किसी संयंत्र/संयंत्रों में कोई दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जिसके फलस्वरूप निस्तारित उत्प्रवाह की मात्रा बढ़ जाए और/या उपरोक्त पैरा 3 व 4 में वर्णित मानकों का उल्लंघन हो तो बोर्ड की टेलीग्राफिकली तथा आंचलिक स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी को स्थिति बताते हुए सूचित किया जाए।
18. प्रार्थी फैक्ट्री के अन्दर व परिसर में अच्छा रख-रखाव स्थापित करें। सभी पाइप, वल्व, सीवर और ड्रेन रिसावरोधी होने चाहिए। फर्श की धुलाई से जनित उत्प्रवाह, उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए और शर्त के अनुसार किसी बरसाती/तूफानी जल की नाली या खुले स्थान पर नहीं जाने दिया जाना चाहिए।
19. प्रार्थी को टर्मिनल, मेनहोल तथा अंकित निस्तारण बिन्दु पर बोर्ड के स्टाफ या बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेन्सी के लिए उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

20. शुद्धिकृत घरेलू व प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह का नमूना किसी भी सामान्य उत्पादन काय किए जाने वाले दिन तीन महीने में एक बार लिया जाए और उन्हीं शर्त की संख्या 3 व 4 में दी हुई सीमा के अनुसार सभी प्रचालकों के लिए विश्लेषित किया जाए। संलग्न प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद तुरन्त समय-समय पर विश्लेषण आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
21. प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किए इस सहमति आदेश में दिए गये निर्देश तथा बाद में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करें। प्रार्थी/कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करें और/या इस सहमति आदेश के शर्तों का उल्लंघन करें तो वह कानून/अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगी।
22. प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्रवाह की गुणता व मात्रा, उत्प्रवाह निस्तारण की दर, उत्प्रवाह का तापमान न बदले या परिवर्तन न करें।
23. उपरोक्त शर्त जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27(2) के अन्तर्गत समाप्त नहीं कर दी जाती है, तब तक लागू रहेगी।
24. प्रार्थी को सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से कम 30 दिन पहले या प्रस्तावित नये व परिवर्तित निस्तारण बिन्दु के चालू होने और/या निस्तारण किए जाने के 30 दिन पूर्व, जो भी पहले हो, तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।
25. एक निरीक्षण पुस्तिका खाली जानी चाहिए और उस बोर्ड के अधिकारियों को फैक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
26. प्रार्थी उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र या संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लाये सम्बन्धी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से सम्बन्धित सूचना फैक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी और या बोर्ड को अवश्य उपलब्ध करायें।
27. फैक्ट्री परिसर में अन्तिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर बहने वाली नदी या सिंचाई योग्य फार्म, तक उत्प्रवाह ले जाने वाला चैनल, सीवर, ड्रेन या नाले में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। जल के भराव जिससे एनारोबिक स्थितियाँ या मच्छरों की पैदावार हो, को नहीं होने दिया जाए।
28. निदेशक (निदेशकों), साझदार (साझेदारों), प्रोपराइटर (प्रोपराइटरों) के नाम, व पते व टेलीफोन की सूची दी जाय।
29. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिए गए सहमति शर्तों के होते हुए भी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

सहमति (वायु)



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (क्षेत्रीय कार्यालय)

उत्तर मोहाल, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र

मुख्यालय : तृतीय तल, 'बी' ब्लॉक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

## सहमति आदेश-पत्र

संख्या...4152/चेतक(एच0एम0पी0)/सहमति वायु आदेश/2013 सोनभद्र, दिनांक...05.12.13

विषय:-सहमति-मेसर्स- चेतक इण्टरप्राइजेज लि0(एच0एम0पी0), बिल्ली, बेलखरा, अहरौरा, जनपद-मिर्जापुर(उ0प्र0) वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 21/22 के अन्तर्गत।

संदर्भ:- आवेदन संख्या.....शून्य.....दिनांक.....शून्य.....

1. वायु अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन-प्रपत्र मे0 चेतक इण्टरप्राइजेज लि0(एच0एम0पी0) को अपने संयंत्रों से संलग्न में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायु मंडल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।
2. यह सहमति वर्ष, 2014 के जनवरी दिनांक 01.01.2014 से 31.12.2015 अवधि तक मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुये भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 धारा (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों पर पुनः विचार करने के लिये जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिये आरक्षित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

अनुलग्नक . संलग्नक  
(सहमति शर्तों)

क्षेत्रीय अधिकारी

(2)

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## सोनभद्र

संलग्नक सहमति आदेश सं०...../सहमति (वायु) आदेश .....

दिनांक.....

### सहमति शर्तें

1. फ्लू गैस को प्रतिघंटा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये चिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए।
  - i. ....
  - ii. —
  - iii. —
  - iv. —
  - v. —
2. वायु मंडल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा निम्न मानकों के अनुरूप हो।
 

<b>(i)</b> सस्पैन्डेड पार्टिकुलेट मैटर (एस०पी०एम०)	मिलीग्राम प्रति नार्मल क्यूबिक मीटर
<b>(ii)</b> मेटल डस्ट (आयरन, जिंक, कापर आदि)	—
<b>(iii)</b> हाईड्रोजन, सल्फ ट्राई आक्साइड सल्फेट मिस्ट	—
<b>(iv)</b> सल्फर ड्राई आक्साइड	पी०पी०एम०
<b>(v)</b> कार्बन मोना आक्साइड	—
<b>(vi)</b> हाइड्रोकार्बन	—
<b>(vii)</b> अमोनिया	—
<b>(viii)</b> फ्लोरीन	—
<b>(ix)</b> मरकैप्टन	—
<b>(x)</b>	—
3. समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालकों की मात्रा भी मानकों के अनुरूप हो।
4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिस्थापन उद्योग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हो।
5. बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप ही उद्योग द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों में संशोधन अथवा प्रतिस्थापना (यदि सक्षम एवं अनुरूप न पाये गये हों) किया जा सकता है।

(3)

6. बिन्दु 4, 5 एवं 7 में इंगित नियन्त्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रों तथा अनुश्रवण संयंत्रों को कार्यरत स्थिति में इकाई में रखा जाये।
7. इकाई परिक्षेत्र में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी/स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाये।
8. सहमति आदेश निर्गत किये जाने की दिनांक के एक माह के भीतर इकाई के समस्त स्टैक से हो रहे उत्सर्जन के अनुश्रवण किये जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाये। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाय एवं इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
9. (अ) उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाए एवं इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।  
  
(ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाये जब तक सहमति आदेश की समस्त शर्तों का अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाए।
10. किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण में निर्धारित मानकों संदर्भित धारा-29 से अधिक होता है। या होने की सम्भावना हो तो बोर्ड और अन्य संस्थानों जो संदर्भित धारा-29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) धारा 1983 वर्णित है, जो सूचित करना चाहिए।
11. इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाए।
12. इकाई का रख-रखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु से नहीं होना चाहिए।
13. इकाई द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों अथवा बोर्ड से नान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा चिमनी अथवा किसी अन्य आउट लेट से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किए जाने के सम्बद्ध समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान किया जाए।





# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (क्षेत्रीय कार्यालय)

उत्तर मोहाल, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र

मुख्यालय : तृतीय तल, 'बी' ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए  
वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म XV

## सहमति आदेश-पत्र

संख्या...4152/चेतक (एच0एम0पी0)/सहमति जल/2013 सोनभद्र, दिनांक...05.12.13

विषय:- मेसर्स- चेतक इण्टरप्राइजेज लि0(एच0एम0पी0), बेलखरा, अहरौरा, जनपद-मिर्जापुर (उ0प्र0) को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 के अन्तर्गत उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति।

संदर्भ:- आवेदन-पत्र संख्या.....शून्य.....दिनांक.....शून्य.....

1. जल राशि या सीवर में या भूमि पर वहिःश्राव के निस्तारण के लिये जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिये उपर्युक्त आवेदन-पत्र प्राप्त के निर्देश में मेसर्स- चेतक इण्टरप्राइजेज लि0(एच0एम0पी0), को जल (को उसके परिसर से निकालने वाले उसके घरेलू नगरपालिका/औद्योगिक वहिःश्राव के स्थानीय सरिता/ नदी/कुएं में/भूमि पर निस्तारण करने के लिये अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।
2. यह सहमति वर्ष 2014 के मास जनवरी दिनांक 01.01.2014 से 31.12.2015 अवधि तक मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुये भी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत वर्णित किसी/शर्तों पर पुनः विचार करने या संशोधन के लिये अधिनियम के अनुसार जो उचित हो का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## राबर्टसगंज-सोनमद्र

सहमति आदेश सं०.....सहमति/ दिनांक ..... का संलग्नक

### सहमति शर्तें

1. अधिकतम दैनिक उत्प्रवाह और प्रति घंटे में निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह की दर निम्न से अधिक होनी चाहिए

उत्प्रवाह का प्रकार	अधिकतम दैनिक निस्तारण मी <sup>3</sup>	अधिकतम प्रति घंटा निस्तारण
घरेलू औद्योगिक	.....	

(अ) प्रक्रिया जल ब्लीड धोने के  
जल सहित

(ब) शीतलन जल

2. ब्लीड जल सहित प्रक्रिया में प्रयुक्त जल तथा घरेलू उत्प्रवाह को एकत्र करने के लिये अलग-अलग बन्द जल प्रवाह की व्यवस्था बनाये जाये। एकत्र करने की व्यवस्था के अन्तिम छोर पर टर्मिनल मेनहोल, उत्प्रवाह मापन का एक नमूना एकत्र करने की व्यवस्था होने चाहिये। कोई भी उत्प्रवाह टर्मिनल मेनहोल के डाउन स्ट्रीम पर सीवर में प्रवेश नहीं करना चाहिये। सहमति आवेदन-पत्र में सूचित उत्प्रवाह के अलावा अन्य कोई उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिये। तथा यह भी सुनिश्चित करें कि घरेलू उत्प्रवाह स्टोम वाटर ड्रेन में निस्तारित न हो।
3. घरेलू उत्प्रवाह सेप्टिक टैंक या अन्य शुद्धिकरण संयंत्र में शुद्धिकृति संयंत्र में शुद्धिकृति किया जाये जिससे शुद्धिकृति उत्प्रवाह निम्न मानकों के अनुरूप हो।

20 से० पर 5 दिन को बी०ओ०डी०

30 मिग्रा/ली० से अधिक न हो।

कुल निलम्बित ठोस

100 मिग्रा/ली० से अधिक न हो।

4. सभी प्रक्रियाओं से जनित उत्प्रवाह, ब्लीड जल, शीतलन उत्प्रवाह, फर्श व उपकरणों की धुलाई से जनित उत्प्रवाह सहित औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित होने से पूर्व इस प्रकार शुद्धिकृति किया जाये की उत्प्रवाह बोर्ड द्वारा सं० 713/37/83/19/ए आर एन दिनांक 06.04.83 में निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
5. अन्य प्रचालक जिनके मानक में न दिये हो उनका मान एद्योग में निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त किये जाने वाले जल के मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।
6. घरेलू तथा औद्योगिक उत्प्रवाह के नमूने एकत्र करने व विश्लेषित करने की विधि भारतीय मानक 4733व 2488 और इसके बाद के संशोधनों के अनुरूप होनी चाहिये।
7. विश्लेषित करने के लिये नमूना शर्त सं० 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल से एकत्रित किया जाना चाहिये।
8. शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल ऊपर से ढके, ताले लगाने की व्यवस्था युक्त, कम से कम Mx15 साइज और आवश्यक गहराई के ईट या सीमेन्ट कर्कट के चेम्बर होना चाहिये। टर्मिनल मेनहोल में उत्प्रवाह नापने तथा विश्लेषण के लिये नमूना लेने की व्यवस्था उपलब्ध होना चाहिए।

(3)

9. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह मिलाकर (उपरोक्त संख्या 2 के प्राविधानों के अनुसार) एक ही निस्तारण बिन्दु से निस्तारित किया जाये। इस संयुक्त उत्प्रवाह निस्तारण बिन्दु पर उत्प्रवाह मापने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए।
10. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह शर्त संख्या 6 में वर्णित संयुक्त निस्तारण बिन्दु से अन्तिम निस्तारण बिन्दु..... में पक्के, ढके हुए बन्द पाइप युक्त ड्रेन से होकर निस्तारित किया जाय। पक्की ड्रेन या बन्द पाइप को इस प्रकार बिछाना चाहिए जिससे कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसमें नुकसान न पहुँचाया जाये। टर्मिनल निस्तारण बिन्दु को भी टर्मिनल मेनहोल की भाँति बनाया जाए बन्द पाइपों में स्थल की आवश्यकता के अनुसार माध्यमिक निरीक्षण कक्ष बनवाये जायें।
11. इन शर्तों का विशेष रूप से उत्प्रवाह शुद्धिकरण, उत्प्रवाह मान, नमूना एकत्र करने की व्यवस्था टर्मिनल निस्तारण बिन्दु के सम्बन्ध में दिनांक सितम्बर, 2014 या उससे पहले पूर्ण अनुपालन किया जाये।
12. बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक महीने की दस तारीख तक मासिक प्रगति आख्या, सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या के साथ जरूर भेजें।
13. विस्तृत निर्माण स्थल रेखाचित्र उत्प्रवाह ले जाने वाली पाइप लाइन की अनुदैर्घ्य काट व प्लान तथा शर्त 8, 9 व 10 में वर्णित अन्तिम निस्तारण बिन्दु का स्थल रेखाचित्र इस सहमति आदेश के जारी करने के एक माह के भीतर बोर्ड को भेजें।
14. परिसर में एकत्र होने वाले बरसात/तूफान के जल को भली-भाँति रखा जाये और किसी बिन्दु पर घरेलू व औद्योगिक अवशिष्ट से मिलने न दिया जाय। कच्चे माल, उत्पाद या अन्य कोई पदार्थ जो तूफानी जल के साथ बहकर जा सकते हों, का खुले ढेर न लगाया जाय।
15. फैक्ट्री परिसर में उत्पन्न होने वाली सभी ठोस अवशिष्ट पदार्थों का भली-भाँति वर्गीकरण व निम्न प्रकार निस्तारण किया जाये—
  1. अक्रिय पदार्थ होने पर उसका भूमि भराव के लिये इस प्रकार प्रयोग सुनिश्चित किया जाए कि रिसाव की स्थिति पैदा न हो जिससे कि वह भूमिगत जल में प्रवेश न करे या बरसाती, तूफानी जल के द्वारा बहा न दिया जाय।
  2. ज्वलनशील कार्बनिक पदार्थ होने पर नियंत्रण प्रज्वलन किया जाये।
  3. जैविक अवघटय पदार्थ होने पर कम्पोस्टिक की जाए।
16. विषैले पदार्थों का विषैलापन अगर सम्भव हो सके तो दूर किया जाए अन्यथा उन्हें बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त कर सुरक्षित क्षेत्रों में मुहरबन्द स्टील ड्रम में रख और दफनाया जाए। विषमुक्त करने या मुहरबन्द करने और दफनाने का कार्य बोर्ड के अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में अनुमति लेकर किया जाय।
17. यदि फैक्ट्री के किसी संयंत्र/संयंत्रों में कोई दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जिसके फलस्वरूप निस्तारित उत्प्रवाह की मात्रा बढ़ जाए और/या उपरोक्त पैरा 3 व 4 में वर्णित मानकों का उल्लंघन हो तो बोर्ड की टेलीग्राफिकली तथा आंचलिक स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी को स्थिति बताते हुए सूचित किया जाए।
18. प्रार्थी फैक्ट्री के अन्दर व परिसर में अच्छा रख-रखाव स्थापित करें। सभी पाइप, वल्व, सीवर और ड्रेन रिसावरोधी होने चाहिए। फर्श की धुलाई से जनित उत्प्रवाह, उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए और शर्त के अनुसार किसी बरसाती/तूफानी जल की नाली या खुले स्थान पर नहीं जाने दिया जाना चाहिए।

20. शुद्धिकृत घरेलू व प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह का नमूना किसी भी सामान्य उत्पादन कार्य जाने वाले दिन तीन महीने में एक बार लिया जाए और उन्हीं शर्त की संख्या 3 व 4 में दी सीमा के अनुसार सभी प्रचालकों के लिए विश्लेषित किया जाए। संलग्न प्रपत्र के अनुसार विश्लेषण करवाने के बाद तुरन्त समय-समय पर विश्लेषण आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
21. प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किए इस सहमति आदेश में दिए गये निर्देश तथा बाद में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करें। प्रार्थी/कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करें और/या इस सहमति आदेश के शर्तों का उल्लंघन करें तो वह कानून/अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगी।
22. प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्रवाह की गुणता व मात्रा, उत्प्रवाह निस्तारण की दर, उत्प्रवाह का तापमान न बदले या परिवर्तन न करें।
23. उपरोक्त शर्त जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27(2) के अन्तर्गत समाप्त नहीं कर दी जाती है, तब तक लागू रहेगी।
24. प्रार्थी को सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से कम 30 दिन पहले या प्रस्तावित नये व परिवर्तित निस्तारण बिन्दु के चालू होने और/या निस्तारण किए जाने के 30 दिन पूर्व, जो भी पहले हो, तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।
25. एक निरीक्षण पुस्तिका खाली जानी चाहिए और उस बोर्ड के अधिकारियों को फ़ैक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
26. प्रार्थी उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र या संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लाये सम्बन्धी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से सम्बन्धित सूचना फ़ैक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी और या बोर्ड को अवश्य उपलब्ध करायें।
27. फ़ैक्ट्री परिसर में अन्तिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर बहने वाली नदी या सिंचाई योग्य फार्म, तक उत्प्रवाह ले जाने वाला चैनल, सीवर, ड्रेन या नाले में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। जल के भराव जिससे एनारोबिक स्थितियाँ या मच्छरों की पैदावार हो, को नहीं होने दिया जाए।
28. निदेशक (निदेशकों), साझदार (साझेदारों), प्रोपराइटर (प्रोपराइटरों) के नाम, व पते व टेलीफोन की सूची दी जाय।
29. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिए गए सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

केन्द्रीय अधिकारी  
01/2  
Bansari prakash



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(क्षेत्रीय कार्यालय)

उत्तर-मोहाल, राबर्टसगंज, सोनभद्र

मुख्यालय: टी0सी0 12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

सहमति (वायु)

## सहमति आदेश पत्र

संख्या ..... 9120 / सहमति (वायु) आदेश / ..... 20/17 ..... सोनभद्र, दिनांक 12/05/2017

विषय:- सहमति मेसर्स चेतक इण्टरप्राइजेज लि0(H.M.P.), बेलखरा, अहरौरा, जनपद-मिर्जापुर (उ0प्र0) वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के अन्तर्गत।

सन्दर्भ :- आवेदन संख्या- शून्य दिनांक 27.04.2017

1. वायु अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त सन्दर्भित आवेदन प्रपत्र मेसर्स चेतक इण्टरप्राइजेज लि0 (H.M.P.) को अपने संयंत्रों से संलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायु मण्डल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।
2. यह सहमति आदेश वर्ष 31-12-2017 अवधि तक मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981 धारा 21(6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त किसी भी/सभी शर्तों पर पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

अनुलग्नक : संलग्नक

(सहमति शर्तें)

क्षेत्रीय अधिकारी

(2)

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## सोनभद्र

संलग्नक सहमति आदेश सं०...../सहमति (वायु) आदेश/.....

दिनांक.....

### सहमति शर्तें

1. फलू गैस को प्रतिघण्टा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये चिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए।

वायु प्रदूषण के स्रोत	प्रयुक्त ईंधन	स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था
(i) फ्यूजिटिव उत्सर्जन	—	विण्ड ब्रेकिंग वाल, कवर्ड वाइब्रेटरी स्क्रीन, वाटर स्पिंकलर, हरित पट्टिका, बोल्डर रोड, इत्यादि।
(ii) —	—	—
(iii) —	—	—
(iv) —	—	—
(v) —	—	—

2. वायु मण्डल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा निम्न मानकों के अनुरूप हो।

(i) सस्पैन्डेड पार्टिकुलेट मैटर (एस०पी०एम०)	—	600 माइक्रोग्राम प्रति नार्मल धन मीटर।
(ii) मेटल डस्ट (आयरन, जिंक, कॉपर आदि)	—	—
(iii) हाइड्रोजन, सल्फ ट्राई आक्साइड, सल्फेट मिस्ट	—	—
(iv) सल्फर ट्राई आक्साइड	पी०पी०एम०	—
(v) कार्बन मोनो आक्साइड	—	—
(vi) हाइड्रोकार्बन	—	—
(vii) अमोनिया	—	—
(viii) फ्लोरीन	—	—
(ix) मरकैप्टन	—	—
(x) —	—	—

3. समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालकों की मात्रा भी मानकों के अनुरूप हो।
4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिस्थापन उद्योग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हो।
5. बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप ही उद्योग द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों में संशोधन प्रतिस्थापन (यदि सक्षम एवं अनुरूप न पाये गये हों) किया जा सकता है।

(3)

6. बिन्दु 4, 5 एवं 7 में इंगित नियंत्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रों तथा अनुश्रवण संयंत्रों को कार्यरत स्थिति में इकाई में रखा जाये।
7. इकाई परिक्षेत्र में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी/स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाये।
8. सहमति आदेश निर्गत किये जाने की दिनांक के एक माह के भीतर इकाई के समस्त स्टैक से हो रहे उत्सर्जन के अनुश्रवण किये जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाए। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाय एवं इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
9. (अ) उपरोक्त सन्दर्भित सहमति शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाए एवं इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति के ..... माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।  
(ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाए जब तक सहमति आदेश की समस्त शर्तों का अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाए।
10. किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण में निर्धारित मानकों संदर्भित धारा-29 से अधिक होता है या होने की सम्भावना हो तो बोर्ड और अन्य संस्थानों जो सन्दर्भित धारा-29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) धारा 1983 वर्णित है, जो सूचित करना चाहिए।
11. इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाए।
12. इकाई का रख-रखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन, स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु से नहीं होना चाहिए।
13. इकाई द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों अथवा बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा चिमनी अथवा किसी अन्य आउट लेट से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किए जाने के सम्बद्ध समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान किया जाए।
14. इकाई से आबादी, कृषिक उपज इत्यादि को कोई भी नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाए तथा हटाने की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाए।

(4)

15. आवेदनकर्ता/इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिए जाने वाले समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिये गये आदेश/निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता/इकाई पर विधिक प्राविधान के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
16. उपरोक्त इंगित समस्त शर्तें अधिनियम के धारा 21(6) के अन्तर्गत निरस्त न किए जाने तक वैध रहेगी।
17. आवेदनकर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाए। यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने से 30 दिन अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी की कार्यान्वयन तिथि हो एवं प्रस्तावित नवीन उत्सर्जन की तिथि से 30 दिन पूर्व (जो पहले हो) जमा किया जाए।
18. बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करा दी जावेगी।
19. आवेदक को निरीक्षणकर्ता/बोर्ड को अनुश्रवण एवं प्रदूषण संयंत्रों के निर्माण अधिस्थापन अथवा संचालन तथा अन्य सभी सूचनायें जो वायु प्रदूषण नियंत्रण से सम्बन्धित हो, उपलब्ध करानी होगी।
20. इस सहमति आदेश की प्राप्ति 30 दिन के अन्दर अपने उद्योग के डाइरेक्टर्स, पार्टनर्स, प्रोपराइटर्स का पता, दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।
21. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21(6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

Sanjiv Kumar  
 क्षेत्रीय अधिकारी  
 09/01/2020

सहमति (जल)



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(क्षेत्रीय कार्यालय)

उत्तर-मोहाल, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र

मुख्यालय : टी0सी0 12वी, विभ्रूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए  
वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म XV

## सहमति आदेश पत्र



संख्या 9120 /सहमति/ 2017 सोनभद्र, दिनांक ...12.05.17

**विषय:-** मेसर्स चेतक इण्टरप्राइजेज लि0(H.M.P.), बेलखरा, अहरौरा, जनपद-मिर्जापुर को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 के अन्तर्गत उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति।

**सन्दर्भ:-** आवेदन पत्र संख्या- शून्य दिनांक 27.04.2017

1. जल राशि या सीवर में या भूमि पर बहिःश्राव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त आवेदन पत्र के निर्देश में मेसर्स चेतक इण्टरप्राइजेज लि0 (H.M.P.) को उसके परिसर से निकलने वाले उसके घरेलू नगरपालिका/औद्योगिक बहिःश्राव के स्थानीय सरिता/नदी/कुयें में/भूमि पर निस्तारण करने के लिए अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।
2. यह सहमति आदेश 31-12-2017 अवधि तक मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 और इसके संशोधित अधिनियम 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत वर्णित किसी/सभी शर्तों पर पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती हैं। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

**संलग्नक:** अनुलग्नक (सहमति शर्तें)

  
 क्षेत्रीय अधिकारी  


(2)

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## सोनभद्र

सहमति आदेश सं० ..... सहमति/ दिनांक.....का संलग्नक

### सहमति शर्तें

1. अधिकतम दैनिक उत्प्रवाह और प्रति घण्टे में निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह की दर निम्न से अधिक होनी चाहिए।

उत्प्रवाह का प्रकार	अधिकतम दैनिक निस्तारण मी <sup>3</sup>	अधिकतम प्रति घण्टा निस्तारण
घरेलू -	1500 ली०/दिन	-
औद्योगिक	-	-
(अ) प्रक्रिया जल ब्लीड धोने के जल सहित	-	-
(ब) शीतल जल	-	-

2. ब्लीड जल सहित प्रक्रिया में प्रयुक्त जल तथा घरेलू उत्प्रवाह को एकत्र करने के लिए अलग-अलग बन्द जल प्रवाह की व्यवस्था बनाये जायें। एकत्र करने की व्यवस्था के अन्तिम छोर पर टर्मिनल मेनहोल, उत्प्रवाह मापक का एक नमूना एकत्र करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी उत्प्रवाह टर्मिनल मेनहोल के डाउन स्ट्रीम पर सीवर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सहमति आवेदन पत्र में सूचित उत्प्रवाह के अलावा अन्य कोई उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि घरेलू उत्प्रवाह स्टोम वाटर ड्रेन में निस्तारित न हो।

3. घरेलू उत्प्रवाह सेप्टिक टैंक या अन्य शुद्धिकरण संयंत्र में शुद्धिकृत किया जाये जिससे शुद्धिकृत उत्प्रवाह निम्न मानकों के अनुरूप हो।

20° से० पर 5 दिन को बी०ओ०डी० कुल निलम्बित ठोस

30 मिग्रा/ली० से अधिक न हो।  
100 मिग्रा/ली० से अधिक न हो।

4. सभी प्रक्रियाओं से जनित उत्प्रवाह, ब्लीड जल, शीतलन उत्प्रवाह, फर्श व उपकरणों की धुलाई से जनित उत्प्रवाह सहित औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित होने से पूर्व इस प्रकार शुद्धिकृत किया जाये कि उत्प्रवाह बोर्ड द्वारा सं० 713/37/83/19ए आर एन दिनांक 06.04.83 में निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

5. अन्य प्रचालक जिनके मानक में न दिये हों उनका मान उद्योग में निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त किये जाने वाले जल के मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

6. घरेलू तथा औद्योगिक उत्प्रवाह के नमूने एकत्र करने व विश्लेषित करने की विधि भारतीय मानक 4733 व 2488 और इसके बाद के संशोधनों के अनुरूप होनी चाहिए।

(3)

7. विश्लेषित करने के लिए नमूना शर्त संख्या 2 में सन्दर्भित टर्मिनल मेनहोल से एकत्रित किया जाना चाहिए।
8. शर्त संख्या 2 में सन्दर्भित टर्मिनल मेनहोल ऊपर से ढके, ताले लगाने की व्यवस्था युक्त, कम से कम Mx15 साइज और आवश्यक गहराई के ईट या सीमेन्ट कर्कट के चेम्बर होना चाहिए। टर्मिनल मेनहोल में उत्प्रवाह नापने तथा विश्लेषण के लिए नमूना लेने की व्यवस्था उपलब्ध होना चाहिए।
9. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह मिलाकर (उपरोक्त शर्त संख्या 2 के प्राविधानों के अनुसार) एक ही निस्तारण बिन्दु से निस्तारित किया जाये। इस संयुक्त उत्प्रवाह निस्तारण बिन्दु पर उत्प्रवाह मापने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए।
10. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह शर्त संख्या 6 में वर्णित संयुक्त निस्तारण बिन्दु से अन्तिम निस्तारण बिन्दु ..... में पक्के, ढके हुए बन्द पाइप युक्त ड्रेन से होकर निस्तारित किया जाये। पक्की ड्रेन या बन्द पाइप को इस प्रकार बिछाना चाहिए जिससे कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसमें नुकसान न पहुँचाया जाये। टर्मिनल निस्तारण बिन्दु को भी टर्मिनल मेनहोल की भाँति बनाया जाये बन्द पाइपों मत्तें स्थल की आवश्यकता के अनुसार माध्यमिक निरीक्षण कक्ष बनावाये जायें।
11. इन शर्तों का विशेष रूप से उत्प्रवाह शुद्धिकरण, उत्प्रवाह मान, नमूना एकत्र करने की व्यवस्था टर्मिनल निस्तारण बिन्दु के सम्बन्ध में दि० ..... या उससे पहले पूर्ण अनुपालन किया जाये।
12. बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक महीने की दस तारीख तक मासिक प्रगति आख्या, सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या के साथ जरूर भेजे।
13. विस्तृत निर्माण स्थल रेखाचित्र उत्प्रवाह ले जाने वाली पाइप लाइन की अनुदैर्ध्य काट व प्लान तथा शर्त 8, 9 व 10 में वर्णित अन्तिम निस्तारण बिन्दु का स्थल रेखाचित्र इस सहमति आदेश के जारी करने के एक माह के भीतर बोर्ड को भेजें।
14. परिसर में एकत्र होने वाले बरसात/तूफान के जल को भली भाँति रखा जाये और किसी बिन्दु पर घरेलू व औद्योगिक अवशिष्ट से मिलने न दिया जाये। कच्चे माल, उत्पाद या अन्य कोई पदार्थ जो तूफानी जल के साथ बहकर जा सकते हों, का खुले ढेर न लगाया जाये।
15. फैक्ट्री परिसर में उत्पन्न होने वाली सभी ठोस अवशिष्ट पदार्थों का भली भाँति वर्गीकरण व निम्न प्रकार निस्तारण किया जाये—
  1. अक्रिय पदार्थ होने पर उसका भूमि भराव के लिए इस प्रकार प्रयोग सुनिश्चित किया जाए कि रिसाव की स्थिति पैदा न हो जिससे कि वह भूमिगत जल में प्रवेश न करे या बरसाती, तूफानी जल के द्वारा बहा न दिया जाय।
  2. ज्वलनशील कार्बनिक पदार्थ होने पर नियंत्रण प्रज्वलन किया जाये।
  3. जैविक अवघटय पदार्थ होने पर कम्पोस्टिक की जाए।
16. विषैले पदार्थों का विषैलापन अगर सम्भव हो सके तो दूर किया जाए अन्यथा उन्हें बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त कर सुरक्षित क्षेत्रों में मुहरबन्द स्टील ड्रम में रख और दफनाया जाए। विषमुक्त करने या मुहरबन्द करने और दफनाने का कार्य बोर्ड के अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में अनुमति लेकर किया जाए।

(4)

17. यदि फैक्ट्री के किसी संयंत्र/संयंत्रों में कोई दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जिसके फलस्वरूप निस्तारित उत्प्रवाह की मात्रा बढ़ जाये और/या उपरोक्त पैरा 3 व 4 में वर्णित मानकों का उल्लंघन हो तो बोर्ड की टेलीग्राफिकली तथा आंचलिक स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्थिति बताते हुए सूचित किया जाए।
18. प्रार्थी फैक्ट्री के अन्दर व परिसर में अच्छा रख-रखाव स्थापित करे। सभी पाईप, वल्व, सीवर, और ड्रेन रिसावरोधी होने चाहिए। फर्श की धुलाई से जनित उत्प्रवाह, उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए और शर्त के अनुसार किसी बरसाती/तूफानी जल नाली या खुले स्थान पर नहीं जाने दिया जाना चाहिए।
19. प्रार्थी को टर्मिनल, मेनहोल तथा अन्तिम निस्तारण बिन्दु पर बोर्ड के स्टाफ या बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेन्सी के लिए उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिए।
20. शुद्धिकृत घरेलू व प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह का नमूना किसी भी सामान्य उत्पादन कार्य किए जाने वाले दिन तीन महीने में एक बार लिया जाए और उन्हीं शर्त संख्या 3 व 4 में दी हुई सीमा के अनुसार सभी प्रचालकों के लिए विश्लेषित किया जाए। संलग्न प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद तुरन्त समय-समय पर विश्लेषण आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
21. प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किए इस सहमति आदेश में दिए गए निर्देश तथा बाद में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करें। प्रार्थी/कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करें और/या इस सहमति आदेश के शर्तों का उल्लंघन करे तो वह कानून/अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगी।
22. प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्रवाह की गुणता व मात्रा, उत्प्रवाह निस्तारण की दर, उत्प्रवाह का तापमान न बदले या परिवर्तन न करें।
23. उपरोक्त शर्त जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27(2) के अन्तर्गत समाप्त नहीं कर दी जाती है, तब तक लागू रहेंगी।
24. प्रार्थी को सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से कम 30 दिन पहले या प्रस्तावित नये या परिवर्तित निस्तारण बिन्दु के चालू होने और/या निस्तारण किए जाने के 30 दिन पूर्व, जो भी पहले हो, तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।
25. एक निरीक्षण पुस्तिका खाली जानी चाहिए और उस बोर्ड के अधिकारियों को फैक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
26. प्रार्थी उत्प्रवाह शुद्धिकृत संयंत्र संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लाने सम्बन्धी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से सम्बन्धित सूचना फैक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी और या बोर्ड को अवश्य उपलब्ध करायें।
27. फैक्ट्री परिसर में अन्तिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर में बहने वाली नदी या सिंचाई योग्य फार्म तक उत्प्रवाह ले जाने वाला चैनल, सीवर, ड्रेन या नालें में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। जल के भराव जिससे एनारोबिक स्थितियाँ या मच्छरों की पैदावार हो, को नहीं होने दिया जाए।
28. निदेशक (निदेशकों), साझेदार (साझेदारों), प्रोपराइटर (प्रोपराइटरों) के नाम, व पते व टेलीफोन की सूची दी जाए।
29. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिए गए सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति बोर्ड आरक्षित रखती है।

*Sankar Singh*  
क्षेत्रीय अधिकारी

*Sankar Singh*